

प्रति,

श्रीमान् चौकी प्रभारी महोदय,
पुलिस थाना लटोरी जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

विषय:- अनावेदकगण द्वारा न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल आवेदकगणों के साथ छल एवं कपट करते हुये भ्रष्टापूर्वक कार्य करने के संबंध में, जाँच कर, अपराध दर्ज करते हुये आवेदकगणों को न्याय दिलाये जाने के संबंध में आवेदन-पत्र।

आवेदकगण:- 01- उमेश कुमार आ0 कैलाश राम उम्र-56 वर्ष,

02- गणेश आ0 रुपदेव जाति-रजवार उम्र-35वर्ष

दोनों निवासी-ग्राम-द्वारिकानगर थाना-जयनगर तहसील-लटोरी
जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

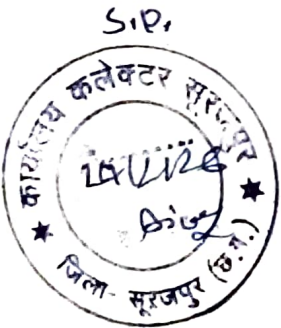
प्रति

अनावेदकगण:- 01- सुरेन्द्र कुमार पैकरा तहसीलदार लटोरी
जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

02- शैलेन्द्र दिवाकर नायब तहसीलदार लटोरी
जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

03- संतोष भनीया पटवारी हल्का नं0-11 ग्राम-लटोरी
जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

04- रीतेश नागवंशी पटवारी हल्का पटवारी नं0-18
ग्राम-द्वारिकानगर जिला-सूरजपुर (छ0ग0)



Ganesh Singh उमेश कुमार

आवेदकगण की ओर से निम्न विनय प्रस्तुत है:-

01. यह कि आवेदक सौमेन्द्र आ० जगपाल व अन्य ग्राम-रामपुर (छुहीपारा) तहसील-अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ०ग०) व अन्य द्वारा दिनांक 08.12.2025 को राजस्व अभिलेखों में मृत सोनकेलिया के स्थान पर नामांतरण दर्ज करने बावत् आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये थे।
02. यह कि नायब तहसीलदार लटोरी द्वारा दिनांक 08.12.2025 को आवेदन-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् दिनांक 16.12.2025 को राजस्व प्रकरण क्रमांक 202512263100005/ब-121/2025-26 के अनुसार विविध मद में मामला दर्ज करते हुये अनावेदकगणों को आहूत करने का आदेश पारित करते हुये आगामी तिथि दिनांक 24.12.2025 नियत किया गया था। दिनांक 24.12.2025 को उभयपक्ष अनुपस्थित प्रकरण पूर्ववत् दिनांक 07.01.2026 को नियत किया गया।
03. यह कि दिनांक 07.01.2026 को अनावेदकगण उपस्थित होकर एक आवेदन-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्य०प्र०संहिता प्रस्तुत करते हुये प्रकरण में आपत्ति प्रस्तुत किये थे, जिसकी प्रतिलिपि आवेदकगणों को प्रदान करते हुये प्रकरण आवेदन-पत्र के जवाब हेतु दिनांक 21.01.2026 नियत किया गया था।
04. यह कि अनावेदक क्र० 02 द्वारा आवेदकगणों को प्रकरण में आगामी तिथि 21.01.2026 प्रदान किया गया था और दिनांक 21.01.2026 के पूर्व ही आवेदकगणों के साथ छल एवं धोखाधड़ी करते हुये दिनांक 09.01.2026 की तिथि में अंतिम आदेश पारित कर दिया गया, जिसकी जानकारी आवेदकगणों को दिनांक 09.01.2026 को हुआ था, जानकारी मिलने के पश्चात् नकल बावत् आवेदन किये थे, जिसकी नकल आवेदकगणों को दिनांक 13.01.2026 को प्राप्त हुआ है।

Ganesh Desai (उमेश) कुमार

05. यह कि ग्राम-लटोरी जिला-सूरजपुर (छ0ग0) के प्रकरणों की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार अनावेदक कं0 01 तहसीलदार को प्राप्त है। ग्राम द्वारिकानगर तहसील-लटोरी के प्रकरणों की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नायब तहसीलदार लटोरी को प्राप्त है। सौमेन्द्र व अन्य द्वारा ग्राम द्वारिकानगर की भूमि के संबंध में नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया था। आवेदक सौमेन्द्र वगैरह द्वारा ग्राम-लटोरी की भूमि के संबंध में कोई भी आवेदन-पत्र तहसीलदार लटोरी/अनावेदक कं0 01 के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था, परन्तु तहसीलदार लटोरी/अनावेदक कं0 01 द्वारा लोक सेवक के पद पर असीन होने के पश्चात् विधि के प्रतिकूल आवेदकगणों के साथ छल करते हुये बिना किसी अधिकार के सौमेन्द्र वगैरह का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करते हेतु हल्का पटवारी/अनावेदक कं0 03 एवं 04 को ज्ञापन जारी किया गया था। हल्का पटवारी/ अनावेदक कं0 03 एवं 04 द्वारा बिना किसी आदेश व ज्ञापन के सौमेन्द्र वगैरह के साथ आपसी साठ-गांठ कर राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज कर दिया गया है, जबकि तहसीलदार लटोरी ऑनलाईन नामांतरण आदेश पूर्व के दिनांक 29.12.2025 को निरस्त कर दिया गया था।

06. यह कि नायब तहसीलदार लटोरी द्वारा आवेदकगणों को दिनांक 21.01.2026 की तिथि प्रदान की गयी थी, प्रकरण जवाब हेतु दिनांक 21.01.2026 नियत किया गया था और आवेदकगणों को दिनांक 21.01.2026 तिथि देने के पश्चात् दिनांक 09.01.2026 तिथि में आवेदकगणों के साथ छल करते हुये न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल भ्रष्टापूर्वक आदेश पारित किया गया है, जो गंभीर आपराधिक कृत्य है, जो दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है।

07. यह कि अनावेदकगण एक राय होकर अपने पदीय कर्तव्यों के विपरित जाकर भ्रष्टापूर्वक यह जानते हुये की ग्राम-लटोरी की भूमि के

Jamesh Raj' उमेश कुमार

संबंध में कोई भी आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी आवेदकगणों के साथ विद्वेश रखते हुये आदेश पारित किया गया है, जो धारा 257 एवं 318 भा0नागरिक संहिता 2023 के तहत दण्डनीय आपराधिक कृत्य किया गया है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि न्यायालय नायब तहसीलदार लटोरी के न्यायालय से राजस्व प्रकरण क्रमांक 202512263100005/ब-121/2025-26 सौमेन्द्र व अन्य प्रति उमेश कुमार व अन्य से संबंधित मूल नस्ती जप्तकर मामले का निष्पक्ष जाँच करते हुये अनावेदकगणों के विरुद्ध धारा 257 एवं 318 बी0एन0एस0 के तहत अपराध दर्ज करते हुये आवेदकगणों को न्याय दिलाये जाने की कृपा हो।

Cham Singh Raj (उमेश कुमार)
आवेदकगण

दिनांक:-14.01.2026

स्थान:-अम्बिकापुर

- प्रतिलिपि:- 01- श्रीमान् जिला दण्डाधिकारी महोदय, सूरजपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 02- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय, सूरजपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 03- श्रीमान् महानिरीक्षक महोदय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ0ग0) को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्र०	१५	२०२५
दिनांक	७	१

1

(फार्म - अ)

परिपत्र दो एक की कण्डिका 6 देखिये

राजस्व आदेश पत्र की रेवेन्यू 2 आर्डर शीट

न्यायालय तहसीलदार लटोरी के न्यायालय में मामला क्र० 202512263100005./2025-26

विषय :- पूर्व आदेश के परिपालन हेतु।

मामले का श्रेणी ब-121

ग्राम:-द्वारिकानगर... बन्दोबस्त क्र०प०ह०न०.....18 ...तहसील लटोरी

कलेक्टर क क्र०.....सन 202 अ०वि०अ० क क्र०.....202 -20

तहसीलदार का क्रमांकसन 202 -202

आदेश अथवा कार्यवाही की तारीख	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश अथवा कार्यवाही	जहाँ आवश्यक हो पक्षों तथा वकीलों के हस्ताक्षर आदेश का पालन करने वाले लिपिक के संक्षिप्त हस्ता० व पालन की तारीख
1	2	3
16/12/25	— आवेदक सौमेन्द्र आ० जगपाल व अन्य 07 सभी जाति रजवार निवासी ग्राम द्वारिकानगर तहसील लटोरी जिला सूरजपुर छ०ग० के द्वारा ग्राम द्वारिकानगर स्थित भूमि ख०न० 42 रकबा 101.71 हे० भूमि के मामले में व्यवहार न्यायालय सूरजपुर के व्य०वाद क्र० 204-ए/2004 में पारित निर्णय दिनांक 03/03/2009 के परिपालन हेतु मा०उच्च न्यायालय बिलासपुर के wpc नं० 1348/2023 पारित निर्णय दिनांक 14/10/2025 के अनुसार वाद भूमि के मामले में पारित निर्णय दिनांक 03/03/2009 के परिपालन कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। — प्रकरण उचित मद ब-121 में दर्ज हो। — प्रकरण में आवेदक द्वारा तलबाना अदा किये जाने पर अनावेदकगण आहूत हो। पे० ता० 24/12/25 नायब तहसीलदार तहसील-लटोरी जिला-सूरजपुर (छ०ग०)	

RETURNED TO BEA TRUE COPY

24/12/25
TANVIL DASH LATORU



24/12/25 - प्रकरण केबल
- आपराध अनु०।
- प्रकरण पूर्ववत्

कानून

07/01/26.

नायब तहसीलदार
तहसील लटोरी
जिला सुरगपुर (अ.ग.)

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY


DEPUTY TALUKDAR

1
07/01/26

100

राजस्व आदेश अनुवृत्ती पत्र

1	2	3
07/01/2024	- प्रमाण देना - अनेक धारा अखिल उपर - अनेक ३० ०१ सहित अखिल उपर - अनेक धारा अनेक मय दलावेज प्रमुख - अनेक का मे प्रति प्राप्त - अनेक का मे जकाण देना - अनेक का धारा कालाप गय प्रमुख - मे वर्तमान के लगन प्रमुख नये - प्रमाण दालोडनारी निपत मेमोर. 28/01/26. 21/01/26. - पुस्तक - अनेक धारा स्वतः उपर - प्रमाण अध्ययन / देना	धनमार्ग 21/01/26 उमेश कुमार 21/01/2024 नायब तहसीलदार तहसील लटोरी जिला मुरगपुर (उ.प्र.) म. क. फरारी नायब तहसीलदार तहसील लटोरी जिला मुरगपुर (उ.प्र.) CERTIFIED TO BE A TRUE COPY SHAHIDAR LATORI

CANCELLED

FOR COPIING FEES ONLY

रा0प्र0 क0 202512263100005 / ब-121 / 2025-26

पक्षकार :- सोमेन्द्र वर्ग0 / उमेश कुमार वर्ग0

राजस्व आदेश अनुवृत्ती पत्र

1	2	3
9/10/26	- प्रकरण पेश। - प्रकरण पूर्व से अध्ययन हेतु नियत। प्रकरण का अध्ययन मनन किया गया। प्रकरण के आवेदक सोमेन्द्र वर्ग0 निवासी ग्राम द्वारिकानगर के द्वारा अनावेदकगण उमेश कुमार वर्ग0 निवासी ग्राम द्वारिकानगर तहसील लटोरी जिला सूरजपुर छ0ग0 के मामले में उक्त प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय बिलासपुर के के समक्ष पेश WPC नम्बर 1269/2023 एवं WPC 1348/2023 में मा0 उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा परित आदेश दिनांक 14/10/2025 के परिपालन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदक के आवेदन पर अनावेदकगण को नोटिस जारी कर आहूत किया गया। अनावेदकगण को सुना गया, आवेदकगण के द्वारा प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 07/01/2025 को बतलाया गया कि उक्त प्रकरण में वर्तमान में स्थगन प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन के सम्बंध में है जिससे मा0 उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 14/10/2025 के परिपालन में हल्का पटवारी राजस्व अभिलेख अद्यतन करें। प्रकरण नस्तीवद्ध कर दा0 दफ्तर हो। नायब तहसीलदार तहसील लटोरी जिला सूरजपुर (छ0ग0) राजस्व CERTIFIED TO BE A TRUE COPY NAIB TARIK LATOR	

ORIGINAL RECEIVED
FOR COPYING FEES ONLY



न्यायालय:- श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय तहसील लटोरी, जिला सूरजपुर (छ0ग0)

रा.प्र.क्र.

गौरीकुवर वगैरह प्रति उमेश कुमार वगैरह

माननीय व्यवहार न्यायालय के परिपालन में लंबित उक्त राजस्व प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए जाने एवं खाता विभाजन किए जाने का आदेश पारित किये जाने हेतु आवेदन पत्र :-

08/09/2015

- आवेदकगण सौमेन्द्र आठ जगपाल माता सोनकेलिया, उम्र लगभग 45 वर्ष
2. तिला बाई पुत्री जगतपाल, माता सोनकेलिया उम्र लगभग 43 वर्ष निवासी ग्राम रामपुर, (छहीपास) तहसील-अधिकपुर, जिला-सरगुजा (छ0ग0) 3. बनारसी आठ गनपत माता स्व0 गौरीकुवर, उम्र लगभग 63 वर्ष ग्राम कैलाशपुर, तहसील-सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ0ग0) 4. धनसाय पिता गनपत माता स्व0 गौरीकुवर उम्र लगभग 60 वर्ष, 5. मानसाय आठ गनपत माता गौरीकुवर उम्र लगभग 57 वर्ष, क्रमांक 1, 4 एवं 5 निवासी ग्राम दारिकानगर, तहसील लटोरी जिला सूरजपुर (छ0ग0) 6. देवती कुवर पिता माधो रजवार, उम्र लगभग 75 वर्ष ग्राम करोबा, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर (छ0ग0) 7. मोला पिता रामप्रसाद माता दुरपतिया उम्र लगभग 42 वर्ष, 8. हरिनंदन रजवार पिता रामप्रसाद माता दुरपतिया उम्र 35 वर्ष सभी जाति रजवार निवासी क्रमांक 7, 8 ग्राम गोंदा, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर (छ0ग0) की ओर से निम्न लिखित निवेदन प्रस्तुत है :-

1. यह कि आवेदकगण स्व0 गौरीकुवर एवं गौरीकुवर की बहन देवती कुवर तथा बहन स्व0 दुरपतिया के पुत्र मोला रजवार एवं हरिनंदन रजवार वारिशगण हैं।
2. यह कि स्व0 गौरीकुवर द्वारा माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 महोदय सूरजपुर के समक्ष एक व्यवहारवाद क्र. 204ए/2004 प्रस्तुत किया गया था, उक्त व्यवहारवाद में माननीय व्यवहार न्यायालय नायब तहसीलदार पिलछा वर्तमान नायब तहसीलदार लिंक कोर्ट लटोरी, में व्यवहारवाद के क्रियान्वयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत की थी जो वर्तमान में माननीय तहसीलदार महोदय लटोरी के न्यायालय में लंबित है परंतु अत्यधिक दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि लगभग 16 वर्ष हो जाने परवात भी विभाजन का आदेश व्यवहार न्यायालय की छिंदी के परिपालन में नहीं हो सका है।

FORWARDED TO BEATABLE COPY

RECEIVED TO BEATABLE COPY



3. यह कि गौरी कुंवर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लिंक कोर्ट लखने से विभाजन कराने में सफल न हो सके इसलिए मात्र प्रकरण को लम्बित रखने के नियत से अनावेदकगण माननीय न्यायालय में भीति-भीति के विविध आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं और खारिज होने पर उसके विरुद्ध पुनरीक्षण कर प्रकरण की कार्यवाही को बाधित कर देते हैं।

4. यह कि अनावेदकगण माननीय न्यायालय के प्रकरण को लम्बित रखने की नियत से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत विविध आवेदन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष WPC नम्बर 1289/2023 एवं WPC 1348/2023 प्रस्तुत किया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह लिखते हुए दिनांक 14.10.2025 को निरस्त कर दिया गया है कि माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आइति के अनुसार माननीय न्यायालय को प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर व्यवहार न्यायालय के निर्णय का क्रियान्वयन किए जाने योग्य है।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि आवेदकगण का आवेदन स्वीकार करते हुए स्व० गौरी कुंवर के उत्तराधिकारी की हैसियत से उनका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए जाने हेतु हल्का पटवारी को आदेशित किए जाने की महान कृपा हो। आवेदकगण की ओर से वंशधर सिंह जी के द्वारा

हस्तात आवेदकगण

(22.09.2025)
आवेदकगण - आवेदकगण

आवेदकगण

RECEIVED TO BEA TRUST COPY

BEA TRUST LAYERS

मो. नं. 9134449894
9926155402

गौरी कुवंर प्रति उमेछा कुमार
(गद)

आर्वेक पन्न अंतर्गत आदेश 7 नियम 1 सी.पी.
सी. एंव सह पक्ति घाटा 32 छज. भूटा.सांहीता

1. यह कि उक्त एकता सिद्ध है:-

कुमार व दो अन्य (३ लोग) पक्षकार को मूल आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदाय हेतु आज नियत है।

2. यह कि प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रकट है कि आवेदकगण का नाम, वर्णन एवं निवास स्थान का स्पष्ट लेख नहीं है।

3. यह कि प्रकरण में कौन-कौन प्रतिवादी/अनावेदक पक्ष है उनका विवरण पक्षकार फॉर्म में निर्दिष्ट नहीं है।

4. यह कि कौन-कौन क्या उपाचार मांग रहे हैं स्पष्ट नहीं है, कौन मूल है उसको वांछित कौन-कौन है, लेख नहीं है, इस प्रकार मूल आवेदन पत्र चलने योग्य नहीं है, जिससे न्यायालय के प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए मूल आवेदन पत्र निरस्त या वापस किया जावे।

अतः पार्श्वना है स

किया जावे।

दिनांक 07.01.2026

ENTRAPPED 174

20

Dr. Paisley

अधिवक्ता

उत्तराखण्ड

अज्ञावेदक

उमैरा कुमार

3/29/2011
Ganesh Rai

आवकता

अना-सूत्रपुर (खग)

81-18